

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या -12/2023-2024

अंतिम आदेश

11/11/23

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अधलाधिकारी मानगो के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुरासा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैं:-

1. विक्रेता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग(occupancy)रैयत है।
2. विक्रेता और क्रेता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही एक ही थाना के निवासी हैं, जिस थाने के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता :- चिगरन समद उर्फ चिगराम समद, पिता- मानिक समद उर्फ मानकी समद, जाति- हो, ग्राम-रोड़ नं०-5 गडरूबासा, शंकोसाई डिमना मानगो, अंचल- मानगो, थाना-उलिडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम को मूल्य -14,00,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता :- पंकरासीया कच्छप, पति-ओसविन कुमार मिंज, जाति-उरांव, ग्राम- रोड़ नं०-5 गडरूबासा, शंकोसाई डिमना मानगो, अंचल- मानगो, थाना-उलिडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम के नाम विक्री हेतु निम्नांकित जमीन,

मौजा	वार्ड सं०	खाला सं०	प्लॉट सं०	रकबा	
अ० क्षेत्र सं० मानगो	09	415	2019	6.60 डी० या 4 कट्ठा	

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

11/11/23
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।